संख्या 3194/सात–भूलेख (लेखपाल तैनाती)/2015–16, दिनांक फतेहगढ़ 19 अगस्त 2016

कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद

(भूलेख अनुभाग)

दिनांक फतेहगढ़ 19 अगस्त 2016

आदेश

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–4, लखनऊ के पत्र संख्या–5736/4–34ए/ 2013टी0सी0, दिनांक 22.07.2016 के कम में लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित लेखपाल को उसके नाम के सम्मुख अंकित तहसील आवण्टन करते हुये तैनात किया जाता है।

क0	अनुकमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित श्रेणी	आवण्टित तहसील
1	2	3	4	5	6
1.	371214730308	श्री धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी	श्री इन्द्रनरायन त्रिपाठी	सामान्य	सदर (फर्रूखाबाद)

उपरोक्त के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, सदर को निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते है।

1– चयनित अभ्यर्थी के उनके गृह जनपद से पुलिस सत्यापन कराने के उपरान्त समस्त शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का परीक्षण करते हुये सक्षम स्तर से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये नियमानुसार 15 दिनों के अन्दर गृह ब्लाक से अन्यत्र ब्लाक में नियुक्ति आदेश निर्गत करें।

2– लेखपाल पद पर अभ्यर्थी की नियुक्ति लेखपाल सेवा नियमावली 2006 (यथा संशोधित) 2014 के नियम 15 (1) में दी गई व्यवस्था के अधीन होगी। अभ्यर्थी को लेखपाल पद का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी।

3– अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश लेखपाल के पद पर नियुक्ति नहीं चाहता है तो उसकी सूचना से मा0 राजस्व परिषद को शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख कर दें कि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 19480/2016 सौरभपाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

चयनित अभ्यर्थी द्वारा 30 दिवस के अन्दर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा प्रस्तुत किये गये अभिलेख एवं अन्य प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाते है, तो उनका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

(कर्ण सिंह चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद

संख्या व दिनांक उपरोक्तः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, अनुभाग–4 लखनऊ।

2– आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर।

3– उप जिलाधिकारी, सदर, फर्रूखाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन आख्या प्राप्त करने के पश्चात समस्त शैक्षिक एवं अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के उपरान्त लेखपाल पद पर नियुक्ति आदेश निर्गत करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावें। नियुक्ति लेखपाल का 01 वर्ष का प्रशिक्षण होगा।

4– तहसीलदार, सदर, फर्रूखाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ सम्बन्धित कर्मचारी को सहायक भूलेख अधिकारी, कार्यालय कलेक्ट्रेट फतेहगढ़ भेजकर अपनी तहसील से सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की प्रति प्राप्त करके अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न करावें।

5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, फर्रूखाबाद को जनपद की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

19/08/2016

(कर्ण सिंह चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद